



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092021-229573  
CG-DL-E-13092021-229573

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943

No. 262]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2021

जांच समाप्ति

विषय : वियतनाम से "6 मि.मी. और उससे अधिक की मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की समाप्ति।

फा. सं. 7/2/2021-डीजीटीआर.—क. प्रस्तावना

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके पश्चात "नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, ग्रीनप्लाइ इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रूसिल डेकोर लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात "आवेदक" के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष वियतनाम (जिसे आगे संबद्ध देश के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "6 मि.मी. और उससे अधिक की मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तुओं" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन पत्र दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लगाए गए शुल्कों को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि क्या यह शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करने के लिए दिनांक 7 जून, 2021 की अधिसूचना सं. 7/2/2021-डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

#### ख. प्रक्रिया

3. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 23 (1ख) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
4. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित करके दिनांक 7 जून, 2021 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
5. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ उपयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य घरेलू उत्पादकों को, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, दिनांक 7 जून, 2021 की जांच शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
6. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश से दूतावास को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की।
7. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी अपने देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को यह परामर्श देने का अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर भेजें। निर्यातकों/ उत्पादकों को भेजी गयी प्रश्नावली और पत्र की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों को उनके नाम और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गयी थी।
8. जांच शुरुआत करने की अधिसूचना और सूचना के उत्तर में, संबद्ध देश से निर्यातकों/ उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके प्राधिकारी को उत्तर दिया।

#### ग. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

9. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की ओर से भारतीय पैनल बोर्ड निर्माता संघ से दिनांक 1 सितम्बर, 2021 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने का अनुरोध किया और तदनुसार नियमों के तहत वर्तमान जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया।

#### घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2021 के पत्र के तहत किए गए अनुरोध की जांच की गई। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14 (क) का पाठ इस प्रकार है :

*"निर्दिष्ट प्राधिकारी सार्वजनिक सूचना जारी करके कोई जांच तत्काल समाप्त करेंगे, यदि -*

*(क) उसे घरेलू उद्योग, जिसके आवेदन पर जांच शुरू की गई थी, से या उसकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित में आवेदन प्राप्त हो;*"

11. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के नियम 14(क) के तहत यह प्रावधान है कि प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच को समाप्त करेंगे, यदि उन्हें ऐसे प्रभावित घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित में आवेदन प्राप्त होता है, जिसके अनुरोध पर जांच शुरू की गई थी।
12. वर्तमान जांच घरेलू उद्योग के रूप में ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रूसिल डेकोर लिमिटेड द्वारा दायर किए गए एक आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी। घरेलू उद्योग ने आवेदन को वापस लिया गया मानने के लिए लिखित में अनुरोध किया है।

**ड. निष्कर्ष**

13. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उपरोक्त अनुरोध को देखते हुए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 14 (क) के अनुसार वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “6 मि.मी. और उससे अधिक की मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड” के आयातों के खिलाफ दिनांक 7 जून, 2021 की अधिसूचना सं. 7/2/2021-डीजीटीआर के तहत शुरु की गयी जांच को समाप्त करते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th September, 2021

**TERMINATION**

**Subject : Termination of sunset review anti-dumping investigation concerning imports of “Plain Medium Density Fibreboard having thickness 6mm and above” from Vietnam**

**F. No. 7/2/2021-DGTR.—A. Introduction**

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the “Rules”), thereof, Greenply Industries Limited/Greenpanel Industries Limited and Rushil Décor Limited (hereinafter also referred to as the “Applicants”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) for initiation of sunset review investigation and extension of anti-dumping duty on imports of “Plain Medium Density Fibreboard having thickness 6mm and above” (hereinafter referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) originating in or exported from Vietnam (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. The Authority, based on the prima facie evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide Notification No. 7/2/2021-DGTR, dated 7<sup>th</sup> June, 2021 published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**B. Procedure**

3. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 23(1B) of the Rules.
4. The Authority issued a public notice dated 7<sup>th</sup> June, 2021 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review investigation concerning imports of the subject goods.
5. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 7<sup>th</sup> June, 2021 to the Embassy of the subject country, known producers / exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
6. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producer / exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

7. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters / producers from their country to respond to the questionnaire with the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers / exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers / exporters from the subject country.
8. In response to the initiation notification, the producers / exporters from the subject country responded to the Authority by filing questionnaire response.

**C. Request received from the domestic industry**

9. The Authority has received a letter dated 1<sup>st</sup> September, 2021 from the Association of Indian Panel Board Manufacturer on behalf of domestic industry, with a request for withdrawal of their petition and has accordingly requested termination of the present investigation as per Rules.

**D. Examination by the Authority**

10. The request made by the domestic industry, vide letter dated 1<sup>st</sup> September, 2021 has been examined. The Authority notes that Rule 14 (a) of the Rules reads as under:

*“The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if –*

*(a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated;”*

11. It is noted that Rule 14(a) of the Rules provides that the Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation if it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.
12. The present investigation was initiated based on an application filed by Greenply Industries Limited/Greenpanel Industries Limited and Rushil Décor Limited constituting domestic industry. The domestic industry has made a written request to treat the application as withdrawn.

**E. Conclusion**

13. In view of the aforesaid request made by the domestic industry, the Authority hereby terminates the investigation initiated vide Notification No. 7/2/2021-DGTR, dated 7<sup>th</sup> June, 2021 against the imports of “Plain Medium Density Fibreboard having thickness 6mm and above” from Vietnam in terms of Rule 14(a) of the Rules.

ANANT SWARUP, Designated Authority